राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–प.40/मुसप्र/प्रवर्तन पार्ट–2/2011/1487 दिनांकः– 9-9-11

कार्यालय आदेश

विषयः– राजस्थान आवासन मण्डल की विकसित योजनाओं में आवासीय भवनों को छोड़कर आवंटित/नीलाम की गई भूमि व भवन से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को दिए जाने बाबत्।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक– प.18(1)नविवि/1/2004 जयपुर दिनांक 11.8.2011 के द्वारा आदेशित किया गया है कि **"राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा 15 प्रतिशत हिस्सा राशि आवासीय भवनों को छोड़कर आवंटित/नीलाम की गई भूमि व भवन जिसमें वाणिज्यिक उपयोग एवं संस्थानिक उपयोग की भूमि व भवन भी शामिल होंगे, से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को दिया जावे। तद्नुसार दिनांक 1.4.2010 से 31.7.2011 तक देय राशि 30 सितम्बर, 2011 तक संबंधित नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया जावे। तदोपरान्त देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (**Simple rate of interest**) देय होगा।"**

उक्त आदेशों के क्रम में मण्डल के वृत–कार्यालयों के सभी उप आवासन आयुक्त एवं खण्ड–कार्यालयों के आवासीय अभियन्ताओं को आदेशित किया जाता है किः–

1. दिनांक 1.4.2010 से 31.7.2011 तक देय राशि संबंधित निगम/परिषद/ पालिका को 30 सितम्बर, 2011 तक हस्तान्तरित की जावे।
2. आवासन मण्डल की योजनाओं में आवासीय भवनों को छोड़कर आवंटित/नीलाम की गई भूमि व भवन (जिसमें वाणिज्यिक उपयोग एवं संस्थानिक उपयोग की भूमि व भवन भी शामिल होंगे) से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि भविष्य में संबंधित निगम/परिषद/पालिका को दो बार निम्नानुसार भुगतान किया जावे :–

- 1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक आवंटित/नीलाम की गई भूमि व भवन से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को वर्ष के नवम्बर माह में भुगतान किया जावे।
- 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आवंटित/नीलाम की गई भूमि व भवन से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को वर्ष के मई माह में भुगतान किया जावे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस वृत/खण्ड कार्यालय में उपरोक्त सम्पत्ति की राशि जमा होती है, उसी कार्यालय द्वारा संबंधित निगम/परिषद/पालिका को 15 प्रतिशत हिस्सा राशि का समयानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता 05 अक्टूबर 2011 तक स्थानीय निकायवार देय राशि व स्थांतरित राशि की सूचना जरिये फैक्स भिजवायेंगे। इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियंता को व्यक्तिशः जिम्मेवार ठहराया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आवासन आयुक्त, रा० आ० मण्डल, जयपुर।
4. उप शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका .... (राज०)।
6. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा० आ० म०, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पी. एण्ड एम./रा०आ०म०, जयपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित से पालना सुनिश्चित करावें एवं मॉनिटरिंग की जावे।
8. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभिंयता, रा०आ०म०, जयपुर
9. जन सम्पर्क अधिकारी, रा०आ०म०, जयपुर।
10. समस्त उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा०आ०म०, ...
11. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................रा०आवम०, ...
12. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा०आ०म०, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक